

ED-923

LL.B. (Part-III) 1st Semester Examination, March-April 2021

Paper - III

Interpretation of Statutes

Time: Three Hours] [Maximum Marks: 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के

अंक समान हैं।

Note: Answer any five questions. All questions carry

equal marks.

- निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए:
 - (a) कानून का पूर्णरूपेण पठन किया जाना जरूरी है।
 - (b) 'साहचर्येण ज्ञायते' का सिद्धान्त।
 - (c) न्यायालय का कार्य विधि का निर्वचन करना है, विधायन करना नहीं।
 - (d) सामान्य प्रथागत शब्दों को उनके लोकप्रचलित अर्थ में समझना होता है।
 - (e) व्याख्या और निर्माण

DRG_207_(4)

(Turn Over)

(2)

Attempt briefly any four of the following:

- (a) Statute must be read as a whole
- (b) Principle of Noscitur a Sociis
- (c) The function of the Court is to interpret the law and not to legislate.
- (d) Words of common usage are to be understood in their popular sense.
- (e) Interpretation and construction
- 2. निर्वचन की परिभाषा दीजिए। विधिक निर्वचन के सिद्धान्तों की सहायता से निर्वचन को स्पष्ट कीजिए। Define Interpretation. Explain interpretation with the help of principles of statutory interpretation.
- विधियों के निरसन से आप क्या समझते हैं? विधियों पर निरसन के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

What do you understand by repeal of statutes. Discuss the effect of repeal on statutes.

 विधायन से आप क्या समझते हैं? विधि के निर्माण में लोकमत के योगदान का वर्णन कीजिए।

What do you understand by legislation? Discuss the constribution of public opinion in law making.

DRG_207 (4)

(Continued)

(3)

 समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Discuss the principle of harmonious construction.

- 6. सार और मर्म के सिद्धान्त को समझाइए। Explain the doctrine of pith and substance
- "उपधारणा हमेशा विधि निर्माताओं के अन्यायपूर्ण और अतर्कपूर्ण आशाय के विरुद्ध होती है।" विवेचना कीजिए।

"There is always a presumption against the law maker intending injustice and unreason." Discuss.

- 8. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर संक्षेप में लिखिए:
 - (a) अवशिष्ट शक्ति का सिद्धान्त
 - (b) आच्छादन का सिद्धान्त
 - (c) अधित्याग का सिद्धान्त
 - (d) पृथक्करणीयता का सिद्धान्त
 - (e) कर कानूनों का कठोर अर्थान्वयन

Answer briefly any four of the following:

(a) Doctrine of Residuary Power

DRG_207_(4)

(Turn Over)

(4)

- (b) Doctrine of Eclipse
- (c) Doctrine of Waiver
- (d) Doctrine of Severability
- (e) Strict interpretation of taxing statutes
- 9. कानूनों के निर्वचन में यथा अनुप्रयोजित स्वर्णिम नियम का सोदाहरण विवेचन कीजिए। यह नियम अक्षरशः नियम से कहाँ तक भिन्न है?

Discuss and illustrate the Golden Rule as applied to the interpretation of statutes. How far is this rule different from the literal rule?

10. 'सजातीय अर्थान्वयन' के नियम से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by the rule of 'Ejusdem Generis'?

DRG_207_(4)

440